29.01.2024 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।
आरोपी वेद सिंह पूर्व निर्णित।
आरोपी मंगलेश्वर अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी मंगलेश्वर की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम तामील वापस प्राप्त नही।

प्रकरण का अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिनांक 14.02.2022 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु उक्त दिनांक से ही जमानती वारंट तथा दिनांक 23.6.2023 से गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है परंतु अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चत नहीं किया जा सका है। आरोपी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नही हो पा रहा हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। इस कारण आरोपी मंगलेश्वर को फरार घोषित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

अतः अभियुक्त मंगलेश्वर को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–299 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाकर फरार घोषित किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्त मंगलेश्वर की उपस्थिति तक कार्यवाही रोकी जावे।

प्रकरण व्यवस्थित कर सुरक्षित रखे जाने हेतु अभिलेखागार प्रेषित किया जावे एवं प्रकरण के मुख पृष्ट पर लाल स्याही से यह अंकित किया जावे कि अभियुक्त फरार है अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

अभियुक्त मंगलेश्वर के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

सही/–
(सुरेश टोप्पो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सीतापुर जिला सरगुजा छ0ग0